न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर

मु0नं0—114/2017

उनवान —सरकार बनाम मोहित सिंधल वगैरा(अग्रवाल मिष्ठान भण्डार संतर रोड धौलपुर)

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii)एफ0एस0एस0
एक्ट 2006 नियम 2011

निर्णय दिनांक —03.01.2018

उक्त प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र श्री प्रेमचन्द्र जैन,खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय संयुक्त निदेशक,चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, भरतपुर जोन भरतपुर ने अप्रार्थीगण श्री मोहित सिधंल पुत्र श्री संतोष कुमार सिंघल विक्रेता एवं श्री सुरेशचन्द सिधंल पुत्र श्री किरोडीलाल सिधंल मालिक फर्म अग्रवाल मिष्ठान भण्डार संतर रोड धौलपुर के विरुद्व अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 रुल्स 2011 के तहत पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 10.02.2017 को दौराने गस्त अप्रार्थीगण की फर्म अग्रवाल मिष्ठान भण्डार संतर रोड धौलपुर का निरीक्षण करने पर निरीक्षण के समय दुकान के काउन्टर पर आम जनता को विक्रय हेतु खाद्य वस्तु बेसल के लडडू जिसे मौके पर विकेता मोहित सिधंल ने बेसन,चीनी व घी से निर्मित होना बताया दुकान के काउन्टर पर लगभग 04 किलो एक स्टील की ट्रे में रखे हुये थे उनका निरीक्षण करने पर उसमें मिलावट का शक होने पर मौके पर विकेता से उक्त खाद्य वस्तु बेसन के लडडू (बेसन, चीनी व घी से निर्मित) में से शुद्वता की जॉच हेतु 2 किलो बेसन के लडडू वास्ते नमूना जॉच अप्रार्थी से खरीदा गया। उक्त नमूना संख्या एओ—189 वास्ते जांच हेतु खाद्य विश्लेषक राजस्थान अलवर को भेजा गया। खाद्य विश्लेषक राजस्थान अलवर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट दिनांक 23.2.2017 के अनुसार उक्त नमूना सबस्टैंडर्ड प्रकृति का पाया गया। प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलव किया गया। अप्रार्थीगण स्वंय उपस्थित हुऐ। अप्रार्थी को आरोप नोटिस पढकर सुनाया गया। अप्रार्थी ने नोटिस का जबाव प्रस्तुत कर अपना जुर्म एवं जुर्माना स्वीकार किया तथा भविष्य में इस तरह की पुर्नावृति नहीं करने तथा कम से कम जुर्माना कर प्रकरण का निस्तारण करने हेतु निवेदन किया।

हमने पैरोकार सरकार व अप्रार्थीगण को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। अप्रार्थी द्वारा अपना जुर्म एवं जुर्माना स्वीकार करने से प्रमाणित होता है कि अप्रार्थी ने उक्त सबस्टैडर्ड बेसन के लडडू का विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंधन किया है। इस प्रकार अप्रार्थी सवस्टैडर्ड बेसन के लडडू बेचने का दोषी है जो धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है।

अतः अप्रार्थीगण श्री मोहित सिधंल पुत्र श्री संतोष कुमार सिंधल विकेता एवं श्री सुरेशचन्द सिधंल पुत्र श्री किरोडीलाल सिधंल मालिक फर्म अग्रवाल मिष्ठान भण्डार संतर रोड धौलपुर पर प्रकरण के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य संरक्षा के मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के तहत 4,000/—रुपये (चार हजार रू0) जुर्माना लगाया जाता है। जुर्माने की राशि कैशियर कलेक्ट्रैट, धौलपुर को जमा करावें। पत्रावली फैसल शुभार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरफूल सिंह यादव)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
धौलपुर(राज0)

Scanned by CamScanner